कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक 2782 /भर्ती/2019 रायगढ़ दिनांक 4/10/2019

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.10.2019से 31.10.2019 के प्रातः 11.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक. स्थान–जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़

जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ के **सामान्य स्थापना** के रिक्त पद **सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा सहायक ग्रेड–तीन, भृत्य एवं नैमेत्तिक कर्मचारी** के श्रेणीवार निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और राज्य शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

सामान्य स्थापना :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदो की वर्गवार जानकारी				
			आरक्षित पद				अनारक्षित पद
			अनूसूचित जन जाति	अनूसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक प्रोग्रामर	1					
2	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	2					
3	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	4					
4	सहायक ग्रेड–3	12					
5	क्लर्क स्टेनो	3					
6	भृत्य	2					
7	भृत्य (नैमित्तिक)	4					
	योग	28					

टीपः– दिनांक 04.9.2019 को राजपत्र में प्रकाशित अध्यादेश के अनुसार तथा राज्य शासन व्दारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण प्रतिशत निर्धारित की जावेगी ।

* माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छ.ग. के निर्णयानुसार आरक्षण निर्धारित किया जावेगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) सहायक प्रोग्रामर पद के लिए –

अ– **वेतन बैंड** 38100–120400/––(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेबल–9)

ब– **शैक्षणिक योग्यता – कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है :–**

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से MCA/M.Sc./B.E./B.Tech degree in Computer Science or related subject.

अथवा

2. Second Class Bachelor degree from recognized university with 'A' Level Course from DOEACC or PGDCA from any recognized University with 3 years experience in programming/Software development field.

नोट :– 1. उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. Unix/Open Source Software/Windows NT में कार्य करने का अनुभव

(2) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी एवं हिन्दी) पद के लिए –

अ– **वेतन बैंड** –(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेबल–7) **(28700–91300)**

ब– **शैक्षणिक योग्यता – कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है :–**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं

2. छ.ग. या म.प्र. शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी स्टेनोग्राफर हेतु **अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन** तथा हिन्दी स्टेनोग्राफर हेतु **हिन्दी शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन** परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं

3. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम. एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान। या

(3) सहायक ग्रेड–3 एवं क्लर्क स्टेनो (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) पद के लिए –

अ– **वेतन बैंड** – 19500–62000/–(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेबल–4)

ब– **शैक्षणिक योग्यता – कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है :–**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं
2. छ.ग. या म.प्र. शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा **हिन्दी मुद्रलेखन** परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम. एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(4) **भृत्य पद के लिए –**

अ– **वेतन बैड** – 15600–49400/–(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेबल–1)

ब– **शैक्षणिक योग्यता –**

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(5) **आकस्मिकता निधि (कंटिजेंसी) कर्मचारी के लिए –**

अ– **वेतनमान – कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर**

ब– **शैक्षणिक योग्यता –**

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

शारीरिक योग्यता –

1. हर तरह का कार्य करने के लिये शारीरिक रुप से सक्षम हो।

आयु एवं पात्रता

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो। यह शर्तअनुसचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों को लागू नही होगी लेकिन नियुक्ति के पूर्व उन्हे अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक होगा। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(अ)– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(ब) – कोई उम्मीदवार, जिसके एक से अधिक पति/पत्नि जीवित है और नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

(2) दिनांक 01.09.2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र. –एफ 3–2/2015/1–3, नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्षों में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(4) विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3 (एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–25–93/1 अस.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (एक) (3)– छत्तीसगढ़ शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक को, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरुप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

<u>स्पष्टीकरण</u>–छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3 (एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

3 (एक) (6)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक) (7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक फ1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रुप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक) (9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (दो) (2)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–सी3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो) (3)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक –सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप :– (1) बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरुप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट

मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विकम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विकम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(3) उपरोक्त 3(एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट – इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय–समय पर जारी दिश निर्देश भी लागू रहेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया :–
(प्रथम चरण)

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए–4 साईज के पेपर में नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा कर प्रस्तुत किये जावे। अभ्यर्थी व्दारा स्वतः उपस्थित होकर पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2019से 31.10.2019 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम तथा आरक्षित पद की श्रेणी लिखा हो जो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.) के कार्यालय में रखे गये ड्राप बाक्स में डालकर प्रस्तुत किया जायेगा तथा पृथक से प्रवेश पत्र को स्वयं अभ्यर्थी व्दारा भर कर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर आवेदन प्रस्तुती के समय कार्यालय को प्रदान किया जायेगा जिस पर कार्यालय के व्दारा पावती सील लगाकर दी जायेगी और उसमें अनुकमांक दिया जायेगा।

1– दिनांक 31–10–2019 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। डाक से भेजे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। विज्ञापन व आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय के वेबसाइड ecourts.gov.in/raigarh से डाउनलोड की जा सकती है।

2– जन्मतिथि के सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

3– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4— आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जावेगा।

5— आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारुप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनका चयन–नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

6— आवेदक को अच्छा चरित्र, शरीरिक एवं मानसिक रुप से स्वास्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7— अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो। तथा किसी न्यायालय में आपराधिक लम्बित न हो, तथा किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित न किया गया हो।

8— आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करेगा और दो अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा। स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुये दो खुले लिफाफे प्रत्येक में 5/– रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रुप से संलग्न करेगा, साथ ही मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई–डी भी उल्लेख करेगा।

9— आवेदक के व्दारा सहायक प्रोग्रामर, अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफर , क्लर्क स्टेनों एवं सहायक ग्रेड–3 के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

10— विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

<u>चयन प्रकिया</u>
(द्वितीय चरण)

प्रथम चरण में प्रवेश पत्र प्राप्तकर्ताओं को ही द्वितीय चरण में सम्मिलित होने के लिये पात्र माना जायेगा तथा पहचान सुनिश्चित करने के लिये परीक्षा को मान्य पहचान (आधारकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट इत्यादि) पत्र साथ लेकर आना होगा।

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर ,हिन्दी स्टेनोंग्राफर, एवं सहायक ग्रेड–3, क्लर्क स्टेनो

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर ,हिन्दी स्टेनोंग्राफर, एवं सहायक ग्रेड–3, क्लर्क स्टेनो के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। चयन प्रकिया यदि आवश्यक हो तो एक चरण में होगी, जिनमें निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गये हैं।

1. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा – 100 अंक

<u>सहायक प्रोग्रामर</u> के पद हेतु –

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से – 100 अंक

2. विन्डो, लाइनेक्स एवं My SQL के अनुभवी की प्राथमिकता उनके कार्य अवधि के आधार पर दी जावेगी।

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु –अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की समयावधि में शुद्वता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु – हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की समयावधि में शुद्वता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

सहायक ग्रेड– तीन के पद हेतु – इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

क्लर्क स्टेनों के पद हेतु – क्लर्क स्टेनों के पद हेतु उम्मीदवार को 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्वता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

भृत्य व आकमिकता निधि के पद हेतु – कौशल और शारीरिक परीक्षण

नोट :– 1. कौशल परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका की जॉच छ.ग. शासन रायपुर के टंकण, आशुलिपि एवं सेक्रेटोरियल प्रेक्टिस में कापी जॉचने के दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

परीक्षा तिथि

क्र0	पद नाम	दिनांक	समय	स्थान
01	स्टेनोग्रफर हिन्दी/अंग्रेजी, क्लर्क स्टेनों एवं सहा0 प्रोग्रामर	**16.11.2019**	10 AM	शासकीय पॉलिटेक्नीक कालेज चक्रधरनगर चौक रायगढ़ ।
02	सहायक ग्रेड–3	**17.11.2019**	10 AM	शासकीय पॉलिटेक्नीक कालेज चक्रधरनगर चौक रायगढ़ ।
03	भृत्य/नैमत्तिक कर्मचारी	**24.11.2019**	10 AM	जिला न्यायालय परिसर रायगढ़

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तपदों की संख्या की तीन गुनी बनायी जायेगी। उत्तीर्ण अर्हताधारी अभ्यर्थीयों को उनके व्दारा दिये गये पता लिखा लिफाफा में पृथक से सूचनादी जावेगी तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट **ecourts.gov.in/raigarh** में उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों की सूची अपलोड होगी जिसे वे देख सकते हैं, तथा दिये गये तिथि को अनिवार्य रूप से दस्तावेजों के परीक्षण हेतु अपने साथ आई.डी.प्रूफ (पहचान पत्र) यथा – ड्रायविंग लायसेंस /वोटर आई.डी. कार्ड /आधार कार्ड /पेन कार्ड तथा समस्त सुसंगत दस्तावेजों की मूलप्रति सहित उपस्थित होंगे। यदि उनकी उम्मीद्वारी सही पाई गई तो रिक्त पद की संख्या के आधार पर उन्हे नियुक्ति पत्र दिया जायेगा ।

(प्रतिक्षा सूची)

वर्गवार प्रतिक्षा सूची तैयार की जायेगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों की सूची के वरिष्ठता क्रम से सामान्य स्थापना के पदों को भरे जाने के पश्चात् प्रतिक्षा सूची आगामी विज्ञापन तिथि तक मान्य होगी, यदि कोई अभ्यर्थी पद ग्रहण नहीं करता है, या पद ग्रहण उपरांत पद त्याग कर देता है, या उसे पदमुक्त कर दियाजाता है, तो प्रतिक्षा सूची से वर्गवार वरियता के आधार पर उपलब्ध अभ्यर्थीयों की नियुक्ति की जा सकेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

1– छ0ग0 शासन सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी।

2– अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी चरण में शामिल होने के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

3– चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

4– परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

5– महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।

6– चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7– चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराए जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

8– यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

9– रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

10– समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि जन्म तिथि एवं प्राप्त अंक समान हो तो स्नातक परीक्षा में जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

11– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को होगा।

12– चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

–: महत्वपूर्ण :–

यह सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें, और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन–पत्र स्वतः लेकर आवें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नही होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है।

अपूर्ण तथा त्रूटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य विशेष सूचनाएँ

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनके व्दारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर एवं डाक टिकट लगा लिफाफे के माध्यम से सूचित किया जायेगा, तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट **ecourts.gov.in/raigarh** पर भी परिणाम उपलब्ध रहेंगे। और इसमें लिखी गई तिथि पर ही पद ग्रहण करने के लिये उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

अनुमोदित

District & Sessions Judge
Raigarh (C.G.)

आवेदन का प्रारुप

(सहायक प्रोग्रामर अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–3 व क्लर्क स्टेनों के पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....

3. लिंग–पुरुष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) : ....
....
....

   (ब) स्थाई पता : ....
....
....

5. (अ) जन्मतिथि (अंकों में)

   (शब्दों में) : ....

   (ब) दिनांक 01/12/2019 को आयु :– .... वर्ष .... माह .... दिन

6. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग

का सदस्य हैं ? हाँ/नहीं

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

9. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

10. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : ....

11. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

12. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक दिनांक

13. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

14. क्या आप विवाहित हैं ? हाँ/नहीं

15. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

16. जीवित बच्चों की संख्या

क्र.	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1	2	3	4

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर–
नाम एवं पूरा पता –
मोबाईल नं–
ई–मेल –
(मोबाई नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रुप से भरें)

आवेदन का प्रारुप

(भृत्य एवं कलेक्टर दर पर वेतन प्राप्त करने वाले पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम, पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) : ....
....
....

   (ब) स्थाई पता : ....
....
....

5. (अ) जन्मतिथि (अंकों में)

   (शब्दों में) : ....

   (ब) दिनांक 01/12/2019 को आयु :— .... वर्ष .... माह .... दिन

6. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हैं ? हाँ/नहीं , यदि हॉ तो अंकित करें। [ ]
8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक [ ] दिनांक [ ]

9. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

10. अ–क्या आप विवाहित हैं ? हाँ/नहीं

ब–यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

स–जीवित बच्चों की संख्या

11. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

12. विशेष योग्यता यदि कोई हो, तो :–
(प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें, यदि उपलब्ध है)

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

//घोषणा//

मैं एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि मैने विज्ञाप्ति पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ा । इस प्रपत्र में दिये गये समस्त वि तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर–
नाम एवं पूरा पता –
मोबाईल नं–